

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/2022/1072

दिनांक : 31/03/2023

प्रेषक—

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति—

जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर), श्रीगंगानगर।

विषय : नगरपालिका श्रीविजयनगर के उपाध्यक्ष पद पर उपचुनाव के संबंध में।
प्रसंग : आपका पत्रांक 300 दिनांक 30.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा अवगत करवाया है कि एस.बी.सिविल रिट संख्या 4056/2023 ममता मिह्ठा बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 28.03.2023 को आयोग द्वारा उपाध्यक्ष पद हेतु दिनांक 17.03.2023 को जारी उपचुनाव कार्यक्रम की प्रक्रिया को रोकने के आदेश पारित किये गये हैं।

अतः मामले में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 28.03.2023 की अनुपालना में नगरपालिका श्रीविजयनगर के उपाध्यक्ष पद पर दिनांक 04.04.2023 को करवाये जा रहे उपचुनाव की प्रक्रिया को अग्रिम आदेश तक रोक दिया जावे।

आज्ञा से,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव